Annual Report

वार्षिक रिपार्ट

2019-20

Multi Art Association

www.maango.org

वार्षिक प्रतिवेदन 2019–20

–: संस्था का विजन (दृष्टि) :–

दलित–आदिवासी, महिलाओं और बच्चों सहित समाज के कमजोर वर्ग को शिक्षा, कृषि, स्वास्थ्य और आजीविका से जोड़ कर एक टिकाऊ विकास की परिकल्पना करना, जिससे कि पर्यावरण, भाषा–संस्कृति, रीति–रिवाज, समाजिक संरचना, मौलिक अधिकार और मानवीय मूल्यों की रक्षा हो सके और स्वस्थ्य समाज की स्थापना किया जा सके।

संस्थागत कार्यक्रमों की पृष्ठभूमि

मल्टी आर्ट एसोसिएशन सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा 21, 1860 के तहत् निबंधित एक गैर सरकारी संस्था है। संस्था निर्माण काल से ही पलामू प्रमण्डल सहित पूरे झारखंड में समाज के दबे–कुचले वर्ग के लिए काम करती आ रही है। उनके हक व अधिकार के प्रति लोगों को सजग कर रही है। इसके साथ ही संस्था सरकार द्वारा समन्वय स्थापित कर सरकारी कार्यक्रमों को बेहतर बनाने तथा उसका समाज के अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने का काम करती रही है। पलामू प्रमंडल जैसे सुखाग्रस्त इलाकों में आजीविका के लिए लोगों को काफी संघर्ष करना पड़ रहा है।

उसी संघर्ष से निबटने के लिए संस्था द्वारा आजीविका सुनिश्चित कराने की दिशा में प्रयास शुरू किया गया है। उन्ही प्रयासों के तहत् पलामू, गढ़वा व लातेहार जिले के मनिका, बरवाडीह के गारू और महुआडांड प्रखंड के करीब 10 गांवों में लाह की खेती को बढ़ावा देने उदेश्य से महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून को लेकर मनिका व बरवाडीह के 163 गांवों में सीधे तौर पर सीएफटी कार्य से जुड़ी है, इसके अलावे लातेहार हेरहेंज सहित अन्य प्रखंडों व गढ़वा के चिनियां, भंडरिया, बड़गड़, रमकंडा और रंका प्रखंड तथा पलामू के चैनपुर, पांकी, मनातू, तरहसी लेस्लीगंज व सतबरवा प्रखंड में मनरेगा के साथ–साथ ग्राम सभा सशक्तिकरण, वन अधिकार कानून 2006, खाद्य सुरक्षा जैसे मामलों को लेकर संस्था जिला से लेकर राज्य स्तर पर जन संवाद स्थापित कर बेहतर विकास का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है। महिलाओं के अधिकार को सुनिश्चित तथा उनके अंदर नेतृत्व लाने के उदेश्य से संस्था द्वारा यंग वूमेन लीडरशीप कार्यक्रम शुरू किया गया है, साथ ही साथ महिलाओं के साथ होने वाले हिंसा, यौन शोषण एवं अन्य होने वाले भेद भाव पर भी कार्य कर रही है। इसके साथ संस्था पलामू प्रमंडल अधिकार आजीविका सुनिश्चित करने के लिए पहल शुरू किया गया। संस्था जन मुद्दों को मीडिया व अन्य संचार माध्यमों के द्वारा समय–समय पर उजागर करते रही है। दलित और आदिवासी समुदाय के लोगों के लिए अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उपयोजना के प्रचार कर उनके प्रावधानों को बजट के माध्यम से पहुंचाने का प्रयास शुरू किया है। शिक्षा अधिकार कानून के प्रावधानों को लोगों तक पहुंचाकर बच्चों के शिक्षा के अधिकारों को सुनिश्चित करने का प्रयास करते आ रही है। वहीं सहायता केंद्र के माध्यम से नरेगा, राशन–पेंशन के मुद्दों को लेकर केंद्र के माध्यम से सहयोग करते रही है।

संस्था का प्रोफाइल

- संस्था का नाम : मल्टी आर्ट एसोसिएशन।
- निबंधित कार्यालय : माँ भवन, पाँकी रोड, रेड़मा, मेदिनीनगर, पलामू (झारखण्ड)
- पत्रचार एवं/मुख्य कार्यालय : म0 सं0 153/अ/1, मुहल्ला– बुधनडीह, सुदना नियर बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड–822102
  E-mail-maa.palamu@gmail.com
  www. maango.org
- संस्था का निबंधन : सोसाईटीज रजिस्ट्रेशन एक्ट 21, 1860/177/2007–08
- निबंधन संख्या : 177/2007–08
- पैन संख्या : **AACTM9265D**
- **12A** प्रमाण पत्र संख्या : **12A-79/2010-11/2153-60**
- NGO-Darpan (Uniue id of Vo/NGO): JH/2018/0184930
- **FCRA No.** : 337790038
  FCRA बैक खांता संख्या :– 30774140433
  शाखाः–भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
- सामान्य बैंक खाता संख्या :
  1. खाता संख्या–32401106459
  शाखाः– भारतीय स्टेट बैंक, कृषि विकास शाखा, डालटनगंज
  2. खाता संख्या–**12588104000016940**
  शाखाः– **IDBI Bank ,** डालटनगंज षाखा।
- खाता संचालन : अध्यक्ष, सचिव एवं कोषाध्यक्ष में से किसी दो के संयुक्त हस्ताक्षर से जिसमें कोषाध्यक्ष का हस्ताक्षर अनिवार्य है।

संस्था की कार्यकारिणी समिति

क्र.सं.	नाम	पता	शैक्षणिक योग्यता	पद
1.	जितेंद्र सिंह	ग्राम–चेतमा, पो. रॉकी कला थाना–मनिका, जिला–पलामू, झारखंड	आई.टी.आई	अध्यक्ष
2.	मिथिलेश कुमार विश्वकर्मा	नियर, बाजार समिति, सुदना, डालटनगंज, पलामू, झारखंड	एम.ए.आर.डी.	सचिव
3.	जेम्स हेरेंज	ग्राम–चीरो, पो0 + थाना–चंदवा जिला– लातेहार, झारखंड	आई.टी.आई	कोषाध्यक्ष
4.	तागरेन केरकेट्टा	ग्राम–कालाखजरी, पो.–परसवार, प्रखंड–बड़गड़, जिला–गढ़वा, झारखंड	बी.ए.	सदस्य
5.	अंजना ग्रेस हुहड़	ग्राम–होमिया, पो.–बैरिया, प्रखंड–रामकंडा, जिला–गढ़वा, झारखंड	बी.ए.	सदस्य
6.	तारामणि साहू	ग्राम–पाटिअम्बा, थाना.–जलडेगा, प्रखंड–जलडेगा, जिला–सिमडेगा, झारखंड	बी.एस.सी.	सदस्य
7.	वीरेंद्र कुमार पासवान	ग्राम–भुड़वा, पो0 कांकेकला थाना–पाटन, जिला पलामू, झारखंड	ग्रेजूएट	सदस्य

संस्था का कार्यक्षेत्र

क्र.सं	जिला	प्रखंड	गांव की संख्या	कार्यक्रम
1.	लातेहार	बरवाडीह, मनिका, गारू और महुआडांड, बारियातू, हेरहंज	180	• वनाधिकार, • नरेगा सहायता केंद्र, • जनसंगठन व नेटवर्क • कायर्क्रम का संचालन • ग्राम सभा का सशक्तिकरण क्षमता बर्धन ।
2.	पलामू	मनातू, चैनपुर, रामगढ़, सतबरवा, डालटनगंज, लेस्लीगंज, पांकी और तरहसी	80	• वनाधिकार • कानून, शिक्षा अधिकार कानून में • 25 प्रतिशत बजट कैंपने के साथ। • जनसंगठन व नेटवर्क कार्यक्रम • महिलाओं का कानूनी सहयोग • बच्चों को अधिकार
3.	गढ़वा	मेराल व भंडरिया, बड़गड़, चिनियां, रंका, रमकन्डा	90	• वनाधिकार, • ग्रामसभा सशक्तिकरण, • जन संगठन व नेटवर्क।

संस्था के पास संसाधन

मानव संसाधनन	पुरूष	महिला	कुल	भौतिक संसाधन	संख्या
कार्यालय स्टॉफ फुल टाईम	2	1	3	कार्यालय भवन (मनिका एवं बरवाडीह, डालटनगंज,)	3
फिल्ड स्टॉफ फुल टाइम —10	29	9	38	डिजीटल कैमरा	4
कैडर — 30					
कॉडिनेटर	6	2	8	कम्प्युटर व लैपटॉप	4+12
इंजिनियर	1	0	1	विडियो कैमरा	1
				मोटरसाइकिल	2
				टैब	10
				प्रिंटर और स्कैनर	18
				जमीन ट्रेनिंग सेंटर के लिए	99 डी.

संस्था के नेटवर्क के माध्यम से चलाये जाने वाले

क्र.सं.	कार्यक्रम	नेटवर्क	मुद्दा	क्षेत्र
1	TSP and SCSP बजट कैंपेन	एन.सी.डी.एच.आर, नई दिल्ली	दलित व आदिवास उप योजना	पलामू, गढ़वा, लातेहार व झारखंड के अन्य जिले
2	वन भूमि पर सामुदायिक व व्यक्ति पट्टा का लेकर कैंपेन	झारखंड वनाधिकार मंच व मंथन युवा संस्थान कल्याण विभाग झारखंड, सरकार	वनाधिकार कानून के प्रावधान की जानकारी व जागरूकता	पलामू, गढ़वा व लातेहार
3	मनरेगा व भोजन के अधिकार अभियान का लेकर जनसंवाद व जागरूकता कार्यक्रम	नरेगा वॉच, झारखंड भोजन के अधिकार अभियान, झारखंड	मनरेगा व भोजन के अधिकार कानून व सामाजिक के सुरक्षा योजनाएं	पलामू, गढ़वा और लातेहार
4	महिला सषक्तिकरण एवं महिलाओं के मुद्दे	AALI	महिला सषक्तिकरण, महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों भेदभाव के प्रति कार्यक्रम	पलामू, गढ़वा और लातेहार

संस्था द्वारा जीविकोपार्जन व अन्य मुद्दे

- नरेगा सहायता केन्द्र के माध्यम से मनरेगा के बेहत्तर क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- शिक्षा का अधिकार व वनाधिकार सहित सभी अधिकार के लिए बने कानूनों का प्रचार–प्रसार, हस्तक्षेप व जनवकालत।
- किसान समूहों के माध्याम से आम बागवानी व जैविक खेती के माध्यम से
- सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के सफल क्रियान्वयन हेतु हस्तक्षेप एवं जनवकालत।
- गांव व स्वच्छ व स्वस्थ्य बनाने की परिकल्पना।
- शिक्षा, स्वास्थ्य व जागरूकता के लिए पहल।
- प्राकृतिक संसाधनों को लेकर गांव का बेतहर प्लानिंग व क्रियान्वयन ।
- ग्राम सभा के लोगों सशक्तिकरण।

दाता संस्था व एजेंसी से संबंध

- GGF (Golbel Green Fund)
- UUHIP
- Jharkhand Vandhikar Manch- Manthan
- Aali
- Forest Department - Pakur
- SPWD

नरेगा सहायता केंद्र

नरेगा सहायता केंद्र :– मनरेगा मजदूरों व दलित, आदिवासी, महिला, आदिम जनजाति समुदायों को मदद पहुचाने के उदेष्य को लेकर मनिका व बरवाडीह में सरकार व सीएफटी कार्यक्रम के सहयोग से नरेगा सहायता केंद्र का संचालन किया जा रहा था। सीएफटी कार्यक्रम के समाप्त होने के पश्चात भी संस्था नरेगा सहायता केंद्र को सहयोग जारी रखा है। प्रत्येक शुक्रवार व मंगलवार को केंद्र खोला जाता है, जहां मजदूर पहुच कर मनरेगा मजदूरी, राशन, पेंशन जैसे तमाम योजनाओं की जानकारी व सहयोग के लिए पहुचते हैं। केंद्र के कार्यकर्ता व अन्य साथी मिलकर मजदूरों को आवेदन बनाने से लेकर उन्होंने एमआइएस की भी जानकारी उपलब्ध कराते है। नरेगा सहायता केंद्र व सहयोगी संगठन ग्राम स्वराज मजदूर संघ तथा महिला अधिकार संघर्ष समिति के द्वारा समय पर मजदूरों के अधिकार व उनके जागरूकता के कार्यक्रमों का आयोजन करते रहती है। नरेगा सहायता केंद्र के माध्यम से किये गये गतिविधि इस प्रकार है :–

Sl. No.	Activities	Total
1	PDS Related Complains submitted to Concern authority (Applicant)	140
2	Food Packet distributed to the poor family effect by COVID 19 (Family)	1055
3	Job Card Application Under MGNREGA (Applicant)	144
4	Work Demand Application under MGNREGA (Job card holder)	1268
5	Ration Card Received under NFSA (Family)	3
6	Application for submittedd under Pension Schemes (Applicant)	10
7	Hunger status Survey conducted for National network (family)	70
8	Aapplication for submitted under Jharkhand State food security Schemes (Family)	81

इसके साथ ही नरेगा सहायता केंद्र एवं इसके सहयोगी संगठनों के प्रयास से राज्य सरकार को अपनी नीतियों में बदलाव के लिये बाध्य होना पड़ा। मनरेगा एवं अन्य सामाजिक कल्याण की योजनाओं की सावधिक सामाजिक अंकेक्षण इकाई को बंद करने के निर्णय को सामाजिक संगठनों के दबाव के बाद वापस लेना पड़ा।

अन्तराष्ट्रीय महिला दिवस :– अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर महिला अधिकार संघर्ष समिति, मनिका, के बैनर तले सैकड़ों महिलाओं ने मनिका हाई स्कूल से एक रैली निकाली एवं प्रखण्ड कार्यालय परिसर में आम सभा का आयोजन किया। रैली में शामिल महिलाएँ अपने हाथों में तख्तियाँ लिये हुई थीं। मातृत्व हक कानून लागू करने, महिलाओं पर शोषण बन्द करने, महिलाओं को सम्पूर्ण अधिकार देने आदि नारे लगाये जा रहे थे। बरवाडीह प्रखंड में भी अर्न्तराष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर सभा की गई।

मजदूर दिवस :– 01 मई 2019 को अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस के अवसर पर ग्राम स्वराज मजदूर संघ के संयुक्त तत्वाधान में मनिका में रैली एवं सभा का आयोजन किया। करीब 250 की संख्या में मनरेगा मजदूर हाथों में कुदाल, फावड़ा तथा झण्डे लिए हुए थे। स्थानीय हाई स्कूल से एक रैली निकाली गई। वित्तीय वर्ष 2019–20 में मनरेगा मजदूरी में मामुली बढ़ोत्तरी किये जाने को लेकर मजदूरों में खासी नाराजगी थी। मनरेगा मजदूरी बढ़ाने की मांग संगठन के द्वारा किया गया। बरवाडीह प्रखंड में भी अन्तराष्ट्रीय मजदूर दिवस मनाया गया।

ग्राम सभा सशक्तिकरण व जागरूकता अभियान कार्यक्रम

गांव में विकास योजनाओं को मजबूती से लागू करने के लिए ग्राम सभा को मजबूत होना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ग्राम सभा को संवैधानिक शक्तियां प्राप्त है। गांव में रहने वाले लोगों को विकास के लिए योजना बनाने, योजनाओं की निगरानी करने तथा सामजिक अंकेक्षण करने में सक्षम होना चाहिये।, ग्राम सभा के लोंगों में उपरोक्त क्षमता नहीं होने के कारण गांव का संपूर्ण विकास नहीं हो पा रहा है। ग्राम सभा के सदस्यों को कानूनी जानकारी नहीं होने के कारण ग्राम सभा के हाथों से जल, जंगल और जमीन निकलते जा रहे हैं। जिसके कारण ग्रामीणों के समक्ष आजीविका का संकट मंडरा रहा है। ऐसे में गांव के लोगों को आजीविका की तलाश में बाहर पलायन करने को विवश होना पड़ रहा है। इन कारणों से आजिविका के साथ साथ छोटे छोटे बच्चे भी शिक्षा से वंचित हो जा रहे हैं और उनका भविष्य भी गरीबी के दलदल में फंसता जा रहा है। ग्राम सभा को मजबुत करने के लिए संस्था द्वारा लातेहार, गढ़वा व चतरा जिले के करीब 32 गांव में निम्नलिखित कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं।

ग्राम सभा की पुर्न स्थापना :– UUHIP परियोजना की टीम के द्वारा ग्राम सभा सदस्यों के साथ मिलकर 2019–20 वित्तिय वर्ष में भी कई ग्राम सभाओं की पुर्न स्थापना एवं उनकी समितियों का पुर्न गठन किया गया। बड़गड़ प्रखंड के गांव बिंजपूर एवं सालो में अप्रैल 2019 माह में ग्राम सभा की पुर्न स्थापना एवं उनकी समितियों का पुर्न गठन किया गया। अप्रैल माह में ही अखिल भारतीय आदिवासी महासभा और आदिवासी एक्टिविस्ट फोरम फॉर इंडिजिनस राइट्स के तात्वाधान आदिवासी सांस्कृतिक महोत्सव बड़गड़ के बांड़ी खजुरी में मनाया गया। अप्रैल 2019 माह में लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जन घोषणा पत्र झारखंड के विभिन्न राजनैतिक दलों को सौंपा गया।

माह मई में बड़गड़ के बिंजपूर, बांड़ी खजुरी, काला खजुरी एवं गोठानी की ग्राम सभा पुर्नस्थापना/पुर्नगठन का घोषणा पत्र माननीय राष्ट्रपति भारत गणराज्य, झारखंड के माननीय राज्यपाल, मुख्य सचिव, सचिव पंचायत राज विभाग, जिले के उपायुक्त, जिला वन पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी को रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजा गया।

माह जून में बांड़ी खजुरी, काला खजुरी एवं गोठानी में ग्राम सभा सचिवालय का उदघाटन वहां के ग्राम प्रधानों द्वारा किया गया। अब ग्राम सभा के सभी दस्तावेज रखने का एवं ग्राम सभा के अन्य कार्यों को सुचारू चलाने में आसान होगा। बांड़ी खजुरी, काला खजुरी एवं गोठानी ग्रामों का सामाजिक, संसाधन एव आर्थिक स्थिति का मानचित्रण भी किया गया। इससे ग्राम सभा की योजनाओं को बनाने में सुविधा होगी। पेसा कानुन पर एक दिन का कंसलटेषन वर्कशॉप रांची में टीम द्वारा किया गया। इस वर्कशॉप में पेसा कानून की झारखंड में स्थिति एवं राज्य सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के लिये कोई कानून नहीं बनाने पर चिंता की गई एवं इसके लिये सरकार से वार्ता करने पर सहमति बनी।

जुलाई माह में टेंहड़ी ग्राम की ग्राम सभा के पूर्न गठन के लिये बैठक की गई एवं ग्राम सभा के पूर्न गठन करने का निर्णय लिया गया।

माह अगस्त में सभी ग्राम सभा सचिवालय में स्वतंत्रता दिवस धुमधाम से मनाया गया एवं झंडोत्तोलन किया गया। ऐसा यहां पहली बार हुआ है कि ग्राम सभा ने अपने सचिवालय में राष्ट्रीय ध्वज को फहराया है। बड़गड़ में आदिवासी दिवस भी धुमधाम से मनाया गया।

सितम्बर माह में सरहुल एवं करमा पर्व बड़गड़ में मनाया गया। ग्राम सभा की सभी समितियों का प्रषिक्षण भी किया गया।

इस वर्ष के अन्य क्रिया कलाप एवं कार्यक्रम इस प्रकार हैं संविधान दिवस मनाया गया। महिलाओं के अधिकार पर एवं महिलाओं के लिये संपत्ति पर अधिकार के चर्चा की गई।

वनाधिकार कानून (FRA) को लेकर जागरूकता व दावा सृजन कार्यक्रम

वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों के बीच जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्ति व सामुदायिक अधिकार को लेकर संस्था द्वारा जीजीएफ के सहयोग से गढ़वा जिला के बरगड़ प्रखंड के सभी पंचायतों एवं झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू जिला के रामगढ़ मनातू, लेस्लीगंज, सतबरवा, विभिन्न पंचायतों में साथ ही लातेहार जिले के मनिका एवं बरवाडीह प्रखंड में जागरूकता व दावा पत्रों के माध्यम से व्यक्ति व सामुदायिक अधिकार को लेकर कार्यक्रम शुरू किया गया।

इस कार्यक्रम के अंतर्गत वनभूमि के लाभुकों को वन भूमि पर पट्टा का अधिक से अधिक सृजन करने के लिये बड़गड़ प्रखंड के सभी 22 गांवों में वनाधिकार समिति के गठन हेतु पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर उन्हें वनाधिकार कानून के कानूनी प्रावधानों की जानकारी दी गयी और उन्हें जंगल पर सामुदायिक अधिकार के बारे में समझायी गयी, ताकि जंगल समुदाय को अधिकार हो सके और वे अपने आजीविका के लिए इसका उपयोग कर सके। रंका प्रखंड के विभिन्न गांवों में सामुदायिक दावा के लिये पंचायत प्रतिनिधियों के साथ बैठक की गई है, इसके अलावा झारखंड वनाधिकार मंच के सहयोग से पलामू के चैनपूर, रामगढ .,पाटन, डालटनगंज सदर एवं छत्तरपुर में वन पट्टा के लिये समुदाय के लोगों को सहयोग किया जा रहा है।

इस वर्ष 2019–20 में लातेहार जिले से 3 एवं गढ़वा जिले से 8 सामूदायिक वन संसाधनों पर अधिकार का दावा प्रपत्र अनुमंडल स्तरीय वन अधिकार समिति (SDLC) में जमा (submit) किया गया।

कार्यक्रम के अंतर्गत तकनिकी सहयोग :– वन भूमि के पट्टा के लाभुकों को तकनीकि मदद के लिए नक्सा बनाना तथा नक्सा तथा नक्से हेतू जीपीएस के इस्तेमाल से संबंधित जानकारी दी जा रही है। वन भूमि के पट्टे लाभुकों के दावा पत्र में संलग्न करने हेतू फोटो आदि लेने के मदद की जा रही है। इसके साथ ही साथ नक्सा, फोरमेट डिजाइन करने तथा उससे प्रिंटिंग या फोटो कॉपी करार कर उनके उपलब्ध करायी जा रही है, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों को सृजन किया जा सके।

प्रभावकारी तरीके से वनाधिकार कानून को समुदाय तक पहुचाने के तरीके :– वनाधिकार कानून 2006 को समुदाय के लोगों तक कानूनी प्रवधानों को पहुचाने के लिए वनाधिकार कानून 2006 और पेसा कानून से संबंधि कई बुकलेट, पोस्टर अन्य सामग्रियों का वितरण किया गया, ताकि सामुदाय के लोगे वनाधिकार कानून 2006 कि जानकारी मिल सके। वहीं संस्था द्वारा लातेहार जिला के मनिका, बरवाडीह और पलामू जिला के विभिन्न प्रखंडों प्रचार–प्रचार के साथ मिटिंग व कार्यशाला कर वनाधिकार समिति और वन मित्रों को प्रशिक्षित किया गया, ताकि अधिक से अधिक दावा पत्रों का सृजन किया जा सके।

महिला टेकनालॉजी इम्पावर सेंटर

संस्था अपने कोर फंड से महिला तकनीक सशक्तिकरण कार्यक्रम पलामू जिला के सदर प्रखंड अंतर्गत मेदिनीनगर के अंतर्गत आने वाले गांव सिंगरा, जोड़, निमियां, पोखराहा और आसपास के गांव के युवा लड़कियों को सेंटर से जोड़कर कार्यक्रम का संचालन कर रही है।
इस कार्यक्रम के अंतर्गत 14–25 उम्र लड़कियों के बीच नेतृत्व व उनका क्षमता बढ़ाने के उदेश्य को लेकर 40 लड़कियों के साथ कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के संस्था के प्रधान कार्यालय के प्रशिक्षण हॉल में शुरूआत की गयी है। इस सेंटर वैसी लड़कियों को मौका दिया गया है, जो समाज के कमजोर वर्ग व आर्थिक रूप से कमजोर है, इन लड़कियों को कम्प्यूटर शिक्षा से जोड़ने टेक्नालॉजी से अवगत कराने का प्रयास किया रहा है, साथ खास कर हमारे समाज में लडकियों के शिक्षा की जब बात आती है, तो शिक्षा को लेकर भेद–भाव किया गया है इसी समस्या को ध्यान में रखकर यह कार्यक्रम की शुरूआत की गयी है। इसके साथ ही साथ लडकियों को उनके अधिकारों को लेकर समय–समय पर कार्यशाला कर उन्हें उनके अधिकार की बातें बतायी जा रही, ताकि लड़कियों के अंदर निर्णय लेने की क्षमता विकसित हो सके। इसके लिए कम्प्यूटर कोर्स ऐसा बनाया गया कि उन्हें आजीविका के साथ स्वावलंबी भी बनने में मदद मिलेगी, ताकि महिलाओं को उनका अधिकार मिल सकें। इस वर्ष 2019–20 में 30 लड़कियों ने इस केन्द्र से प्रशिक्षण प्राप्त किया।

महिला अधिकार व महिला कानून सहयोग हेतू कार्यक्रम

संस्था द्वारा आली के साथ मिल कर पलामू के सतरबवा, मेदिनीनगर, विश्रामपुर और चैनपुर प्रखंड में महिलाओं को महिला अधिकारों के प्रति जागरूक करना तथा कानूनी जानकारी और मदद दी जा रही है। इन महिलाओं को न्याय दिलाने के लिए थाना तथा महिलाओं को लेकर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित कर उन्हें न्याय दिलाने में मदद करते है। संस्था इन चिन्ह प्रखंडों में अपने केस वर्कर के माध्यम से महिला हिंसा से प्रताड़ित महिलाओं का केस अध्ययन कर न्यायिक संस्थाओं के साथ समन्वय स्थापित करती है, ताकि पीड़ित महिलाओं को न्याय मिल सके। इसके साथ ही साथ माहिलाओं को महिला हिंसा व महिला अधिकार कानून के प्रति जागरूक करने के लिए गांव स्तर पर बैठक कर उन्हें कानूनी जानकारी भी दी जा रही है। इसके अलावा लातेहार एवं गढ़वा प्रखंड में भी इस तरह के कार्यक्रम चलाये जा रहे हैं। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस वित्तीय वर्ष में लगभग 70 केस घरेलू हिंसा और महिला प्रताडना, छेड़छाड़, डायन प्रताड़ना सहित कई केस आये। संस्था केस वर्कर की मदद से महिलाओं को कनूनी सलाह एवं सहयोग किया। वहीं दूसरी और पलामू प्रमंडल के तीनों जिला लातेहार, गढ़वा व पलामू में हुए महिला अत्याचार से संबंधित कई मामले में फैक्टफाइडिंग एवं संबंधित विभाग व संस्थानों के साथ पत्राचार कर मदद की है। इसके साथ ही संस्था के द्वारा बाल अधिकार को लेकर भी मदद की गई है।

संस्था के अन्य गतिविधि / कार्यक्रम

- संस्था नरेगा, पानी, दलित आदिवासी व महिलाओं के समस्याओं को लेकर डक्यूमेंट्री फिल्म का निर्माण किया जा रहा है। संस्था यह प्रयास करते हुए मुद्दा आधारित डक्यूमेंट्री फिल्म के माध्यम से लोगों के हक व न्याय के लिए जारूक करें, इसके प्रयास के लिए हमेशा आगे कारते रहेगी।
- संस्था आदिवासी, दलित व महिलाओं तथा बच्चों के अधिकार व आजीविका के लिए कार्यक्रम को लागू व संचालन करने का अन्य संस्थाओं व संगठनों के माध्यम से करते आ रही है।
- संस्था द्वारा झारखंड में अनुसूचित जाति उप योजना और अनुसूचित जनजाति उप योजना के बारे में दलित व आदिवासी समुदाय के लोगों तक पहुंचाने के लिए जागरूकता कार्यक्रम का संचालन में अपने सहयोगी संस्था एनसीडीएचआर के सहयोग से झारखंड के विभिन्न जिलों में व राज्य के अन्य इलाकों किया जा रहा है।
- आदिम जनजाति को उन्हें सरकारी योजनाओं से जोड़ने के लिए समय–समय पर संस्था द्वारा जागरूकता तथा प्रष्क्षिण व बैठक का आयोजन किया जाता है। इसके माध्यम से आदिम जनजाति परिवारों को उनके अधिकार व उसे हासिल करने के लिए कानूनी प्रावधानों की भी जानकारी संस्था द्वारा दी जाती रही है।
- यूआरआई के साथ जुड़ कर समाज में शांति व सद्भावना बनाए रखने के लिए संस्था हमेशा प्रयास करते रही है।
- मानव तस्करी के खिलाफ के संस्था जागरूकता कार्यक्रम के साथ बच्चों को उनके मां–बाप तक पहुचाने व मिलाने के लिए अपना एडवोकेसी कार्यक्रम मानव तस्करी के लिए काम करने वाले संगठनों के नेटवर्क कार्यक्रम का संचालन करते रही है।
- संस्था द्वारा महिलाओं एवं बच्चों के अधिकारों को लेकर प्रशिक्षण सह कार्यशाला व अन्य कार्यक्रमों का संचालन करती रही है।
- संस्था द्वारा वन प्रमंडल पाकुड़ के हिरणपूर एवं आमरापाड़ा रेंज के 80 गांवों में ग्राम सभाओं के सहयोग से संयुक्त वन प्रबंधन समिति का गठन किया गया एवं विलेज डेवल्पमेंट प्लान तैयार किया गया। कार्यक्रम के द्वारा 80 गांवों में संयुक्त वन प्रबंधन समिति के साथ मिलकर गांव के विकास के लिए लिए कार्यक्रम चलाये गये। इस कार्यक्रम में ग्राम सभा के साथ मिटिंग और गांव के विकास के लिए जंगल को केंद्रित कर योजनाओं को चयन किया गया। गांव में उपलब्ध संसाधनो की पहचान की गयी। उसके बाद योजनाओं का समेकन कर एक गांव के लिए एक विलेज डेवलपमेंट प्लान की बुक तैयार की गयी। जिससे वन विभाग इन योजनाओं को अपने संयुक्त वन प्रबंधन समिति के माध्यम से उन गांव में क्रियान्वयन करेगी, जिससे की जंगल पर से दबाव को कम किया जा सके।
- मनरेगा को बेहतर क्रियान्वयन को लेकर झारखंड सरकार द्वारा स्थापित सामजिक अंकेक्षण इकाई को मजबूत करने तथा सामाजिक अंकेक्षण की प्रक्रिया को बेहतर बनाने के लिए संस्था वह संस्था के पदाधिकारी मदद करते रहे हैं।
- राषन और पेंशन की पहुच आम जनों तक हो इसके मनिका के विभिन्न गांवों में जागरूकता सभाएं की गई एवं प्रखंड एवं जिला के साथ मिलकर एडवोकेसी करती रही है।
- संस्था द्वारा महिला दिवस व मजदूर दिवस प्रत्येक वर्ष मनायी जाती है और इन कार्यक्रमों में महिलाओं एवं मजदूरों की अधिकाधिक सहभागिता रहती है कि वे इसका महत्व समझें एवं अपने हक और अधिकार के लिये सचेत रहें।
- बाल विवाह को लेकर जागरूककता कार्यकर्ता
- सरकार के विभिन्न विभागों के साथ सहयोग व प्रशिक्षण का तकनीकि सहयोग।
- दलित व आदिवासी मुद्दों के बजट को लेकर एनसीडीएचआर के साथ जागरूकता कार्यक्रम।
- दलित व आदिवासीर छात्रों के लिए चलायी जा रही पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशीप को लेकर जागरूकता कार्यकर्ता नेटवर्क संस्थाओं के साथ.

संस्था के गतिविधियों का फोटोग्राफ

नरेगा द्वारा संचालित आम बागवानी की गतिविधियां

महिला मुद्दों से जुड़ी हुई गतिविधियां

GENDER
WORKSHOP

वर्णमाला
English

अन्य कार्यक्रमों के फोटो ग्राफ

अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस

8 मार्च

GENDER
WORKSHOP
03.09.2019

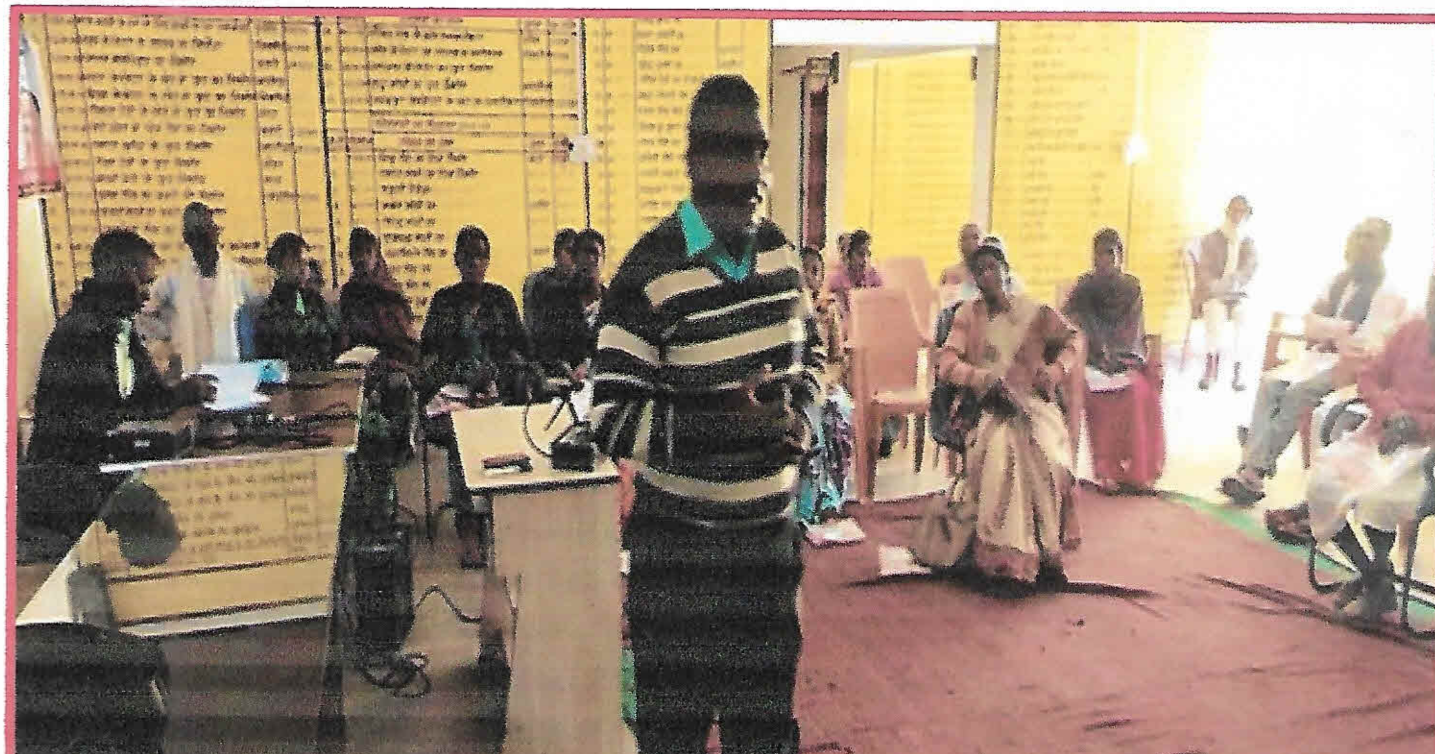

संस्था की गतिविधियां मिडिया में

पलामू भास्कर

रांची, सोमवार 20 जनवरी, 2020 · dainikbhaskar.com

मंडे पॉजिटिव ■ पलामू की महिलाओं को माहवारी के दौरान होने वाले संक्रमण के प्रति जागरूक कर रहा 30 युवतियों का समूह

बाजार में जिस सेनेटरी पैड की कीमत 30 रुपए, उसे युवतियों ने खुद बनाना सीखा... अब गांव-गांव जाकर महिलाओं को दे रही हैं 20 रुपए में सात

पलामू की बेटियां बनीं बदलाव की वाहक...

आधुनिक तकनीक भी सीख रही हैं महिलाएं

महिला हिंसा के बारे में दी जा रही जानकारी

■ झारखंड के 20 साल. झारखंड में सामाजिक सुरक्षा

इसी दूरदर्शी विजन के साथ हेमंत सरकार को आगे बढ़ने की दरकार

जेम्स हेरेंज

महुआडांड़ प्रखंड मुख्यालय से महज एक किलोमीटर की परिधि के अम्वाकोना गांव, गुड़गु टोली में रहने वाली विधवा आदिवासी महिला कुन्नी नगेसिया की बड़ी बेटी रीना को 12 वर्ष पहले एक बैंककर्मी घरेलु काम के लिए शहर स्थित अपने घर लेकर गया जो आज तक अपनी मां के पास नहीं लौटी। कुन्नी मानसिक रूप से बीमार है और 13 वर्ष के बेटे के साथ दूसरे परिवार के एक कमरे में रहकर जीवन गुजार रही है। गरीबी में बेटे-बेटी की पढ़ाई नहीं हुई। यह पीड़ादायक परिस्थिति कोई काल्पनिक कथा नहीं, बल्कि 20 वर्ष के युवा झारखंड के आदिवासी और हाशिये पर रह रहे परिवारों की वास्तविकता है। ऐसा कहा जा सकता है कि पूंजीवाद के चश्मे से गढ़े जा रहे विनाशकारी विकास मॉडल ने झारखंड को जकड़ लिया है। एक अध्ययन के अनुसार सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों के 50 फीसदी परिवार अपने बच्चों को आर्थिक दशा खराब होने की वजह से स्कूल नहीं भेजते हैं। ठीक इसी तरह सुदूर क्षेत्रों के 58 प्रतिशत बच्चे आंगनबाड़ी केंद्रों से मिलने वाली सुविधाओं से वंचित हैं। यही कारण है कि राज्य में 47.8 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। इनमें से भी 47.8 प्रतिशत बच्चे गंभीर रूप से कुपोषित हैं। इनमें मौत का खतरा नौ से 20 गुना अधिक रहता है। ऐसे बच्चों की संख्या 5.8 लाख है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वे के मुताबिक राज्य की किशोरियों समेत 13 से 49 आयु वर्ग की महिलाओं की 66 प्रतिशत आबादी एनीमिया की चपेट में है।

आदिम जनजाति परिवारों के एक महिला सदस्य को पेंशन

इसी भांति इस राज्य में 56,76,324 कार्डधारी जनवितरण प्रणाली से मिलने वाली सुविधाओं का लाभ ले रहे हैं। इसी प्रकार राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (पेंशन योजना) के अंतर्गत 20,40,534 परिवार आच्छादित हैं, जिन्हें 1000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है। इसमें आदिम जनजाति समुदाय के परिवारों में से एक वरिष्ठ महिला सदस्य को अनिवार्य रूप से पेंशन का लाभ तथा मुफ्त खाद्यान्न कराने का निर्णय झारखंड बनने के 10 वर्षों के बाद ही संभव हुआ है। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी कानून एक केंद्रीय कानून अवश्य है, लेकिन इसके माध्यम से भी साढ़े 28 लाख मजदूरों की सामाजिक सुरक्षा की आंशिक गारंटी हो रही है। इस वर्ष जिस दूरदर्शी विजन के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सरकार ने मनरेगा केंद्रीत योजनाओं पर कार्य प्रारंभ किया है, जैसे नीलाम्बर-पीताम्बर जल समृद्धि योजना, बिरसा आम बागवानी योजना, शहीद पोटो हो खेल मैदान निर्माण योजना, दीदी बाड़ी योजना। यदि नौकरशाह और संवेदनशील समाज इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को अगले पांच सालों तक ईमानदारी से धरातल पर उतारने को ठान लें तो बिरसा के समृद्ध अखड़ा संस्कृति व झारखंडी सपनों के साकार होने में ज्यादा वक्त नहीं लगेगा।

आप्रवासी मजदूरों का हुजूम सभ्य समाज पर एक कलंक

इस वर्ष घोषित वैश्विक आपदा कोविड-19 के दौरान जिस भयावहता से अप्रवासी मजदूरों का हुजूम मेट्रो शहरों से झारखंड की ओर निकल पड़ा था, वह सभ्य समाज के लिए एक कलंक है। सरकार ने जो आंकड़े इकट्ठे किये वो 11 लाख के आसपास है। लेकिन इसमें विभिन्न महानगरों में घरेलू कार्यों के लिए पलायन करने वाली महिलाओं, ईंट भट्ठों और मौसमी पलायन करने वाले श्रमिकों की संख्या शामिल नहीं है।

लोग अब पीडीएस डीलरों से पूछने लगे हैं सवाल

आज से 20 साल पहले लोग पीडीएस डीलर से सवाल तक पूछने की हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। आज राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून ने हकधारकों के अधिकारों को कानूनी सुरक्षा कवच प्रदान किया है। अपने राज्य झारखंड में मिड डे मिल की शुरुआत भी राज्य गठन के चार वर्ष बाद हुई थी, जहां आज 33 लाख से अधिक बच्चे और 79,591 रसोइये योजना का लाभ ले रहे हैं।

(लेखक मनरेगा व भोजन का अधिकार अभियान से जुड़े हैं)

आज

पलामू प्रमंडल

वंशीधर न
लोगो ने पिक
अपेक्षा कम भी
को लेकर उत
ओर जाते दे
नदी,नैना झरन

भेड़ पालक समुदाय और चरवाहे के आजीविका व अस्तित्व संकट विषय पर कार्यशाला का आयोजन

कार्यशाला को संबोधित करते संस्था के अधिकारी। छाया : ब्रजेश तिवारी

मेदिनीनगर। जंगल, जीविका और जमीन के दायरा खत्मक होने से भेड़ पालक समुदाय व चरवाहे के आजीविका व अस्तित्व संकट विषय पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला का आयोजन स्वयं सेवी संस्था एसपीडब्लूडी और मल्टी आर्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से शिवम होटल में किया। इस कार्यशाला में पलामू, गढ़वा व अन्य जिलों पाल समुदाय व संस्था के प्रतिनिधियों भाग लिया। कार्यशाला के उदेश्य पर चर्चा करते हुए एसपीडब्लूडी के शरत सिंह ने कहा कि सामुदायिक संसाधनों यथा जल, जंगल और जमीन के सरकारी कारण एवं निजीकरण से होने वाले प्रभावों का अध्यन करना कार्यशाला आयोजन करने का उदेश्य है। उन्होंने कहा कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में सामामुदायिक संसाधनों पर बड़े लोगों का कब्जा होते जा रहा है। इसके कारण जंगलों पर निर्भर रहने वाले समुदायों पर आजीविका के संकट खड़े हो रहे हैं। कार्यशाला में मल्टी आर्ट एसोशिसन के सचिव मिथिलेश कुमार ने चर्चा करते हुए कहा कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत समुदायिक दावा पत्रों पाल समुदाय को भेडपाल समुदाय को भेड़ चराने का अधिकार होना चाहिए। ऐसा नही होने से ग्राम सभा व भेडपालक समुदाय के बीच बिवाद बढने की सम्भवनाएं काफी दिखता है। क्योंकि भेडपालक समुदाय का जंगलों के साथ पुरातन समय संबंध रहा है और कटते जंगल के कारण आजीविका भी खतरे में पडा है। कार्यशाला में चर्चा करते हुए पलामू एवं गढवा जिला पाल महासंघ के विभिन्न पदाधिकारियों ने अपने समाज की बुनियादी समस्याओं को रखते हुए कहा कि जंगलों के लगातार दोहन और सामुदायिक भूमि के लैंड बैंक शामिल होने के कारण भेड पालक समुदाय का आजीविका संकट आया है। वहीं सरकारी उदासिनता के कारण भी इन समुदायों को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं से वंचित होना पड रहा है। लोगों ने कहा कि संयुक्त बिहार के समय नवीनगर ऊन विस्तार केंद्र भेड पालकों को भेड, दवाईयां, पशुचिकित्सा एवं अन्य सामग्री मुहैया करायी जाती थी, जबकि झारखंड बनने के इन समुदाय के लिए मिलनी वाली सुविधाए बंद कर दी गयी, जिसके कारण लगातार भेड़पालकों की संख्या घटते जा रही और आजीविका के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। मदन पाल ने कहा कि पाल समाज शुरू से ही स्वभिमानी समाज रहा है, वहीं किसी के अधिन मजदूरी या किसी के जमींदार व किसान के खेत--खलिहान में काम करना पसंद नहीं करता है। वहीं अपनी आजीविका भेड़पालन से सुनिश्चित करता था, समुदाय के लोग भेड़पालन से ही अपनी समुदाय का विकास करते रहे हैं। मगर हाल के दिनों में विभिन्न समस्याओं और सरकार के उदासिनता के कारण आर्थिक, सामाजिक और राजनैतिक रूप से काफी कमजोर हुए हैं। पलामू जिला पाल महासंघ के अध्यक्ष रवि पाल, गढवा के जिला सचिव सुधीर कुमार पाल, संरक्षक रमेश पाल, पूर्व अध्यक्ष सुवंश पाल, कंकारी पंचायत समिति सदस्य बैजनाथ पाल, राजीपाल, टीपी पाल, कर्मदेव पाल, रेड स्टार के वशिष्ठ जी, वृजनंदन मेहता, कैलाश पाल, कर्मदेव पाल, प्रेम प्रकाश धर्मेंद्र पाल आदि मौजूद थे। कार्यशाला का संचालन अशोकपाल तथा धन्यवाद ज्ञापन जेम्स हेरेंज ने किया।

भेड़ पालकों का जंगल से संबं

मेदिनीनगर | संवाददाता

जंगल, जीविका और जमीन का दायरा सिकुड़ने से भेड़ पालक समुदाय व चरवाहे के समक्ष भी आजीविका व अस्तित्व पर संकट विषय पर एक दिनी कार्यशाला में संबंधित समस्याओं पर विमर्श किया गया।

स्वयं सेवी संस्था एसपीडब्ल्यूडी और मल्टी आर्ट एसोसिएशन के तत्वावधान में मेदिनीनगर के शिवम होटल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में पलामू, गढ़वा व अन्य जिलों पाल समुदाय व संस्था के प्रतिनिधियों भाग लिया। कार्यशाला के उद्देश्य पर चर्चा करते हुए एसपीडब्ल्यूडी के शरत सिंह ने कहा कि सामुदायिक संसाधनों यथा जल, जंगल और जमीन के सरकारी करण एवं नीजिकरण से होने वाले प्रभावों का अध्ययन करना कार्यशाला का मूल उद्देश्य है।

एसोसिएशन के सचिव मिथिलेश कुमार ने कहा कि वनाधिकार कानून के

कार्यशाला में विषय रखते पाल समाज के पदधारी।

कार्यशाला

- मेदिनीनगर में किया गया एकदिनी कार्यशाला का आयोजन
- भेड़पालकों और चरवाहों की

ओर से भे
पशुचिकि
करायी ज
सुविधा न
अशो
आयोजि

सामुदायिक भूमि को लैंड बैंक में शामिल करने से भेड़पालक समुदाय की आजीविका खतरे में

संवाद सहयोगी, मेदिनीनगर: जंगल, जीविका व जमीन का दायरा खत्म होने से भेड़ पालक समुदाय व चरवाहे के आजीविका व अस्तित्व संकट गहराया गया है। इससे जंगलों में रहने वालों समुदायों पर गहरा असर देखने को मिल रहा है। यह खुलासा स्थानीय शिवम होटल में आयोजित एक दिवसीय कार्यशाला में हुआ है। कार्यशाला के उदेश्य पर चर्चा करते हुए एसपीडब्लूडी के शरत सिंह ने कहा कि सरकारीकरण व निजीकरण से होने वाले प्रभावों का अध्ययन किया गया है। इसमें पाया गया कि हाल के दिनों में देश के विभिन्न राज्यों में सामुदायिक संसाधनों पर बड़े लोगों का कब्जा होते जा रहा है। इसके कारण

जंगलों पर निर्भर रहने वाले समुदायों पर आजीविका के संकट खड़े हो रहे हैं। कार्यशाला का आयोजन संस्था एसपीडब्ल्यूडी व मल्टी आर्ट एसोसिएशन ने संयुक्त रूप से किया। इसमें पलामू, गढ़वा व अन्य जिलों पाल समुदाय व संस्था के प्रतिनिधियों शिरकत की। मल्टी आर्ट एसोसिएशन के सचिव मिथिलेश कुमार ने कहा कि वनाधिकार कानून के अंतर्गत सामुदायिक दावा पत्रों पाल समुदाय को भेड़पाल समुदाय को भेड़ चराने का अधिकार होना चाहिए था। लेकिन ऐसा नहीं होने से ग्राम सभा व भेड़पालक समुदाय के बीच विवाद बढ़ने की संभवनाएं दिखने लगी है। पलामू व गढ़वा जिला पाल महासंघ के पदाधिकारियों ने समाज की बुनियादी समस्याओं को रखा। कहा कि जंगलों के लगातार दोहन व सामुदायिक भूमि के लैंड बैंक शामिल होने के कारण भेड़ पालक समुदाय का आजीविका संकट आया है। संरक्षकमदन पाल ने कहा कि पाल समाज शुरू से ही स्वभिमानी समाज रहा है। वह किसी के अधीन मजदूरी या किसी के जमींदार व किसान के खेत खलिहान में काम करना पसंद नहीं करता है। कार्यशाला में पलामू जिला पाल महासंघ के अध्यक्ष रवि पाल, गढ़वा के जिला सचिव सुधीर कुमार पाल, संरक्षक रमेश पाल, पूर्व अध्यक्ष सुवंश पाल, कंकारी पंचायत समिति सदस्य वैजनाथ पाल, राजीपाल, टीपी पाल, कर्मदेव पाल, रेड स्टार के वशिष्ठ जी, वृजनंदन मेहता, कैलाश पाल, कर्मदेव पाल, प्रेमप्रकाश, धर्मेंद्र पाल सहित कई उपस्थित थे। कार्यशाला का संचालनल अशोकपाल व धन्यवाद ज्ञापन जेम्स हेरेंज ने किया।

ऑडिट रिपोर्ट

INDIAN INCOME TAX RETURN ACKNOWLEDGEMENT

[Where the data of the Return of Income in Form ITR-1 (SAHAJ), ITR-2, ITR-3, ITR-4(SUGAM), ITR-5, ITR-6, ITR-7 filed and verified]

(Please see Rule 12 of the Income-tax Rules, 1962)

Assessment Year 2020-21

PAN	AACTM9265D		
Name	MULTI ARTS ASSOCIATION		
Address	AT BUDHANDIH,NEAR BAZAR SAMITI, SUDNA, DALTONGANJ, PALAMAU, JHARKHAND, 822101		
Status	AOP/BOI	Form Number	ITR-7
Filed u/s	139(1)-On or before due date	e-Filing Acknowledgement Number	903820551261220

Section	Item	No.	Amount
Taxable Income and Tax details	Current Year business loss, if any	1	0
	Total Income		0
	Book Profit under MAT, where applicable	2	0
	Adjusted Total Income under AMT, where applicable	3	0
	Net tax payable	4	0
	Interest and Fee Payable	5	0
	Total tax, interest and Fee payable	6	0
	Taxes Paid	7	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (6-7)	8	0
Dividend Distribution Tax details	Dividend Tax Payable	9	0
	Interest Payable	10	0
	Total Dividend tax and interest payable	11	0
	Taxes Paid	12	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (11-12)	13	0
Accreted Income & Tax Detail	Accreted Income as per section 115TD	14	0
	Additional Tax payable u/s 115TD	15	0
	Interest payable u/s 115TE	16	0
	Additional Tax and interest payable	17	0
	Tax and interest paid	18	0
	(+)Tax Payable /(-)Refundable (17-18)	19	0

Income Tax Return submitted electronically on 26-12-2020 18:41:50 from IP address 59.98.26.230 and verified by MITHILESH KUMAR having PAN AJOPK2061Q on 26-12-2020 18:41:50 from IP address 59.98.26.230 using

Digital Signature Certificate (DSC).

DSC details: [illegible] Sub CA for Class 2 Individual 2014,OU=Certifying Authority,O=eMudhra Consumer Services Limited,C=IN

DO NOT SEND THIS ACKNOWLEDGEMENT TO CPC, BENGALURU

NAME OF ASSESSEE MULTI ARTS ASSOCIATION A.Y. 2020-2021 PAN AACTM9265D

Bank Account Detail

S. No.	Bank	Address	Account No	MICR NO	IFSC Code	Type
1	STATE BANK OF INDIA, ADB		30774145433		SBIN0000144	Saving(Primary)
2	IDBI BANK		1258104000015946		IBKL0001258	Saving

Details of Members of AOP

S. No.	Name of Member	PAN
1	MITHILESH KUMAR	AJOPK2061Q
2	James Herenj	ADBPH2507B

CompuTax [MULTI ARTS ASSOCIATION]

Name of Assessee	MULTI ARTS ASSOCIATION		
Address	AT BUDHANDIH,NEAR BAZAR SAMITI,SUDNA,DALTONGANJ,PALAMAU,JHARKHAND,822101		
Status	AOP Trust	Assessment Year	2020-2021
Ward		Year Ended	31.3.2020
PAN	AACTM9265D	Formation Date	20/04/2007
Residential Status	Resident		
Method of Accounting	Mercantile		
A.O. Code	–		
Filing Status	Original		
Registration no	12A/79/2010-11/2158-60		
Registration Date	26/08/2011		
Sub Status	Association of persons (Trust) ,Claiming Exemption Under Section 11		

Computation of Total Income

Income from Other Sources (Chapter IV F)			0
Aggregate of income u/s 11,12 and 10(23C)(iv),(v),(vi) and (via) excluding Voluntary contribution			63897
Voluntary Contribution for other than corpus(Local)		4046559	4046559
Less: Application of Income			
Amount applied to charitable purposes in india during the previous year - Revenue Account	4428856	4428856	-4100486
Gross Total Income			0
Total Income			0
Round off u/s 288 A			0

Adjusted total income (ATI) is not more than Rs. 20 lakh hence AMT not applicable

Tax Due	0
Tax Payable	0

Due Date for filing of Return October 31, 2020

Due date extended to 15/02/2021

Aggregate of income u/s 11,12 and 10(23C) derived during the previous year

Interest income	63897
Total	63897

Signature

(MITHILESH KUMAR)

For MULTI ARTS ASSOCIATION

Secretary

Multi Art Association

FORM NO. 10B

[See rule 17B]

Audit report under section 12A(b) of the Income-tax Act, 1961, in the case of charitable or religious trusts or institutions

We have examined the balance sheet of MULTI ARTS ASSOCIATION , AACTM9265D [name and PAN of the trust or institution] as at 31/03/2020 and the Profit and loss account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said trust or institution.

We have obtained all the information and explanations which to the best of our knowledge and belief were necessary for the purposes of the audit. In our opinion, proper books of account have been kept by the head office and the branches of the abovenamed trust visited by us so far as appears from our examination of the books, and proper Returns adequate for the purposes of audit have been received from branches not visited by us , subject to the comments given below:

In our opinion and to the best of our information, and according to information given to us , the said accounts give a true and fair view-

(i) in the case of the balance sheet, of the state of affairs of the above named trust as at 31/03/2020 and

(ii) in the case of the profit and loss account, of the profit or loss of its accounting year ending on 31/03/2020

The prescribed particulars are annexed hereto.

Place	DALTONGANJ
Date	25/12/2020

Name	JAY KUMAR SHARMA
Membership Number	416330
FRN (Firm Registration Number)	008515C
Address	SADIK CHOWK NAYKETAN CINEMA ROAD PALAMAU D ALTONGANJ JHARKHAND 8 22101 INDIA

ANNEXURE

Statement of particulars

I. APPLICATION OF INCOME FOR CHARITABLE OR RELIGIOUS PURPOSES

1.	Amount of income of the previous year applied to charitable or religious purposes in India during that year (₹)	4428856
2.	Whether the trust has exercised the option under clause (2) of the Explanation to section 11(1) ? If so, the details of the amount of income deemed to have been applied to charitable or religious purposes in India during the previous year (₹)	No
3.	Amount of income **accumulated or set apart** for application to charitable or religious purposes, to the extent it does not exceed 15 per cent of the income derived from property held under trust **wholly** for such purposes. (₹)	No
4.	Amount of income eligible for exemption under section 11(1)(c) (Give details)	No
5	Amount of income, in addition to the amount referred to in item 3 above, accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) (₹)	0
6.	Whether the amount of income mentioned in item 5 above has been invested or deposited in the manner laid down in section 11(2)(b) ? If so, the details thereof.	No
7	Whether any part of the income in respect of which an option was exercised under clause (2) of the Explanation to section 11(1) in any earlier year is deemed to be income of the previous year under section 11(1B) ? If so, the details thereof (₹)	No
8.	Whether, during the previous year, any part of income accumulated or set apart for specified purposes under section 11(2) in any earlier year-	
(a)	has been applied for purposes other than charitable or religious purposes or has ceased to be accumulated or set apart for application thereto, or	No
(b)	has ceased to remain invested in any security referred to in section 11(2)(b)(i) or deposited in any account referred to in section 11(2)(b)(ii) or section 11(2)(b)(iii), or	No

Multi Art Association (MAA)
Reg. Off. : Maa Bhawan, Ponki Road, Redma, Daltonganj - 822102
Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102

CONSOLIDATED INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31, MARCH 2020

EXPENDITURE	Amount
To Direct Expenses	
Project : CFT	
Sadar Mobiliser	21,600.00
Engineer (Civil Engineer)	1,20,000.00
Technical Assistant/Participatie Plan	3,00,000.00
Travel (for All Staff)	50,000.00
Recurring Expenditure Of CFT	45,402.00
Bank Charge	189.50
Grant Bad Debts	4,57,222.00
Project : Global Greengrants Fund (GGF)	
5 PESA and FRA Training for PRI Member Gram Pradhan	41,800.00
7 Capability Building Training on Gram Sabha Right	24,387.00
Administrative Cost	55,686.00
Awareness Programme for Right Based Act (Poster Etc	59,500.00
Community Level Meeting NREGA/FRA/PESA ACT Etc	32,500.00
Coordination at District and Block Level Right Act	22,042.00
Staff Support (Part Time)	1,08,800.00
Support for Facilitation in Gram Sabha	45,300.00
Support for Processing CFR Block and District	36,600.00
Project : MANTHAN	
Administrative Cost	4,027.00
CFR Claim Generation Charge	23,000.00
CFR Claim Generation Support	2,10,000.00
Photo Copy & Post Charge	4,255.00
Printing & Stationery	12,546.00
Travels	5,130.00
Project : UUHP	
Admin Cost	
B.1 (Fixed Staff)	3,31,500.00
B.2 (Account Support)	24,000.00
B.3 (Stationary)	5,640.00
B.4 (Audit Fee)	5,000.00
Programme Cost	
A.1 (Community Meeting for Capacity Building)	1,95,250.00
A.2 (Training Program Work Shop)	59,002.00
A.3 (Research)	30,000.00
A.4 (Staff Meeting)	11,352.00
A.5 (Travel)	73,725.00
A.6 (Community Mobilisation)	1,80,000.00
A.7 (Project Conducting Charge [illegible])	4,90,000.00
Bank Charges	1,500.00
General Account	
Administrative and Others Expense	
Administrative and Office Expense	50,198.00
Data Entry Operator	29,600.00
Printing and Stationery	36,142.00
General Expenses	
Bank Charge	531.00
General Office Expense	79,159.00
Office Expense	22,943.00
Salary Paid	18,334.00
Tally Software	19,830.00
Traveling Expense	798.00
Website Renewal Charge	12,200.00
HR	
40 Field Staff	2,93,900.00
Account Support	36,000.00
Assistant Program Coordinator	1,82,600.00
Computer Operator	36,000.00
Fooding Expense for (Field Staff) Team	26,250.00
Other Travels	4,170.00
Program Coordinator	2,10,000.00
Travels for 40 Field Staff	14,592.00
Training Program	
50 Participant Fooding Expense	37,666.00
Accommodation 50 Participant	6,648.00
Generator with Fuel	2,500.00
Miscellaneous	5,325.00
Stationary	525.00
Training Expense for Vdp Planning	34,791.00
Audit Fee Expense	15,000.00
Total	[illegible]

INCOME	Amount
By Direct Incomes	
Project : CFT	
Grant From S.P.W.D	6,56,000.00
Interest On Bank	6,470.00
Project : Global Greengrants Fund (GGF)	
Grant Received	4,50,140.00
Bank Interest	14,256.00
Project : MANTHAN	
Grant Received	3,84,000.00
Project : UUHP	
Grant From	13,57,333.00
Interest On Bank	12,805.00
General Account	
Donation & Subscription	16,485.00
Consultancy Charges	10,000.00
COVID-19 19 (Donation)	3,000.00
Bank Interest	20,213.00
Grant Received	11,10,000.00
By Deficit	3,26,400.50
Total	[illegible]

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: December 25, 2020

Mithilesh Kumar Vis
Secretary
Multi Art Association

Multi Art Association (MAA)
Reg. Off. : Maa Bhawan, Ponki Road, Redma, Daltonganj - 822102
Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102

CONSOLIDATED BALANCE SHEET AS ON 31, MARCH 2020

LIABILITIES		Amount	ASSETS	Amount
Capital Fund			Fixed Assets	
Opening Balance	21,30,165.75		- Fixed Assets - FCRA	1,81,011.00
Less: Deficit	3,26,400.50	18,03,765.25	- Fixed Assets - General Account	10,88,342.44
Current Liabilities			Current Assets	
Expenses Payable		13,94,192.00	Loan & Advance	4,000.00
TDS Payable		4,000.00	Security Deposit	5,000.00
Audit Fee Payable		20,000.00	SPWD for Lac	7,000.00
Sundry Creditors		51,000.00	ITDA Latehar	29,250.00
Loan from Members			Grant Receivable	5,59,010.00
			Bank Account	
			- Project : CFT	1,79,453.50
			- Project : Feminist Approach to Technology (FAT)	9,323.25
			- Project : MANTHAN	69,600.00
			- Project : UUHP	9,21,005.00
			- General Account	2,18,901.00
			Cash in Hand	1,000.00
		32,72,957.25		32,72,957.25

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: December 25, 2020

Mithilesh Kumar Vis
Secretary
Multi Art Association

Multi Art Association (MAA)
Reg. Off. : Maa Bhawan, Ponki Road, Redma, Daltonganj - 822102
Mailing Address : Bhudhabdih, Near Bazar Smiti, Sudna, Daltonganj - 822102

CONSOLIDATED RECEIPTS & PAYMENT ACCOUNT FOR THE YEAR ENDED 31, MARCH 2020

RECEIPTS	Amount
To Opening Balance	
Cash at Bank	11,17,604.75
Cash in Hand	923.00
To Receipts	
Project : CFT	
- Grant Received (Receivable)	14,75,000.00
- Bank Interest	6,470.00
Project : Global Greengrants Fund (GGF)	
- Grant Received	4,50,140.00
- Bank Interest	14,256.00
Project : MANTHAN	
- Grant Received	3,84,000.00
- Expenses Payable	3,413.50
Project : UUHP	
- Grant Received	13,57,333.00
- Bank Interest	12,805.00
- Loans & Advances Recovered	57,257.00
General Account	
Donation & Subscription	16,485.00
Consultancy Charges	10,000.00
COVID-19 19 (Donation)	3,000.00
Bank Interest	20,213.00
Grant Received	11,10,000.00
Expense Payable CFT	75,585.00
Expense Payable UUHP	5,000.00
Total	[illegible]

PAYMENT	Amount
By Payments	
Project : CFT	
- Expenses Payable	12,91,176.00
- Loan from Members	43,912.00
- Bank Charge	556.00
Project : Global Greengrants Fund (GGF)	
- 5 PESA and FRA Training for PRI Member Gram Pra	41,800.00
- 7 Capability Building Training on Gram Sabha Right	24,387.00
Administrative Cost	55,686.00
- Awareness Programme for Right Based Act (Poster E	59,500.00
- Community Level Meeting NREGA/FRA/PESA ACT E	32,500.00
Coordination at District and Block Level Right Act	22,042.00
- Staff Support (Part Time)	1,08,800.00
- Support for Facilitation in Gram Sabha	45,300.00
- Support for Processing CFR Block and District	36,600.00
Project : MANTHAN	
- Expenses Payable	43,015.00
- Administrative Cost	4,027.00
- CFR Claim Generation Charge	23,000.00
- CFR Claim Generation Support	2,10,000.00
- Photo Copy & Post Charge	4,255.00
- Printing & Stationery	12,546.00
- Travels	5,130.00
Project : UUHP	
Admin Cost	
- B.1 (Field Staff)	3,31,500.00
- B.2 (Account Support)	24,000.00
- B.3 (Stationary)	3,540.00
- B.4 (Audit Fee)	5,000.00
Programme Cost	
- A.1 (Community Meeting for Capacity Building)	1,93,259.00
A.2 (Training Program Work Shop)	52,500.00
A.3 (Research)	30,000.00
A.4 (Staff Meeting)	11,352.00
A.5 (Travel)	19,736.00
- A.6 (Community Mobilisation)	1,80,000.00
- A.7 (Project Conducting Charge [illegible]	4,75,000.00
- Bank Charges	1,500.00
- Tax Deducted at Source Paid - OB	6,056.00
- Loans & Advances - against TDS	4,000.00
General Account	
Administrative and Others Expense	
Administrative and Office Expense	53,198.00
Data Entry Operator	29,000.00
Printing and Stationery	36,142.00
General Expenses	
Bank Charge	531.00
General Office Expense	79,159.00
Office Expense	22,943.00
Salary Paid	18,334.00
Tally Software	19,830.00
Traveling Expense	798.00
Website Renewal Charge	12,200.00
HR	
40 Field Staff	2,93,900.00
Account Support	36,000.00
Assistant Program Coordinator	1,82,600.00
Computer Operator	36,000.00
Fooding Expense for (Field Staff) Team	26,250.00
Other Travels	4,170.00
Program Coordinator	2,10,000.00
Travels for 40 Field Staff	14,592.00
Training Program	
50 Participant Fooding Expense	37,666.00
Accommodation 50 Participant	6,648.00
Generator with Fuel	2,500.00
Miscellaneous	5,325.00
Stationary	525.00
Training Expense for Vdp Planning	34,791.00
Audit Fee Expense	20,060.00
Purchase of Fixed Assets	62,400.00
Closing Balance	
- Cash at Bank	14,19,343.75
- Cash in Hand	1,000.00
Total	[illegible]

As per our report on even date
For JAY & ASSOCIATES
Chartered Accountants
(Jay Kumar Sharma)
Proprietor

Place: Daltonganj
Date: December 25, 2020

Mithilesh Kumar Vis
Secretary
Multi Art Association

Annual Report

वार्षिक रिपोर्ट

2019-20

Multi Art Association

www.maango.org